जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः जविप्रा/उपा./जोन–8/2019/डी– 1795 दिनांक : 15/7/19

सिंघल बिल्डहोम प्राईवेट लिमिटेड
जरिये निदेशक श्री मुरारीलाल सिंघल पुत्र श्री आर.एस. सिंघल
पंजीकृत कार्यालय–डी–169, निर्माण नगर, गौतम मार्ग, अजमेर रोड,
जयपुर।

विषय : निजी खातेदारी आवासीय फ्लेट्स ग्राम मोहनपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 47, 49/6 पार्ट–1 क्षेत्रफल 1255.10 वर्ग मीटर के भवन मानचित्र अनुमोदन करने बाबत।

महोदय,

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 06.06.2019 के संदर्भ में प्रस्ताव जोन स्तरीय समिति के समक्ष रखा जाकर निजी खातेदारी आवासीय फ्लेट्स ग्राम मोहनपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 47, 49/6 पार्ट–1 क्षेत्रफल 1255.10 वर्ग मीटर पर 36.0 मीटर ऊँचाई के भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये थे उनकी स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ दी गयी है:–

1. यह भवन अनुज्ञा जुलाई 2024 तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की जानकारी में आया तो प्राधिकरण को भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द करने का अधिकार होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हक नहीं होगा।
4. आप द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2017 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त/उपायुक्त संबंधित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्ते अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
5. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप अधोहस्ताक्षरकर्ता को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगे।
6. आप द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2017 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माण द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपायुक्त जोन 8 को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
7. एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
8. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पडे या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
9. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायेगें कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हों।
10. ऊपर वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।
11. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा। भवन पर व्यावसायिक गतिविधि के संचालन हेतु पृथक से स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है।
12. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो उसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।

For SINGHAL BUILDHOME PVT. LTD.

Director

Scanned by CamScanner

13. स्वीकृत मानचित्र को प्राप्ति दिनांक से राज्य स्तर के समाचार–पत्र में एक सप्ताह में प्रकाशित करने होगें।
14. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होगें।
15. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना एकीकृत भवन विनियम 2017 की धारा 10.1. के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
16. भवन परिसर में ही आगुन्तकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगन्तुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावें।
17. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावें।
18. भवन का उपयोग प्रांरभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावें जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिखे जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचना उपलब्ध करवाई जावें ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
19. एकीकृत भवन विनियम 2017 की धारा 18 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वत निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।" व जनहित में स्वीकृति निरस्त किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।
20. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लम्बित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय मं प्रकरण लम्बित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेगें।
21. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सडक की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जोन वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
22. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आप–पास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावें।
23. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (Display) लगवाया जावे।

संलग्नः– अनुमोदित भवन मानचित्र की प्रति (1 मानचित्र)

भवदीय

उपायुक्त जोन–8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

Scanned by CamScanner

SHEET NO-01

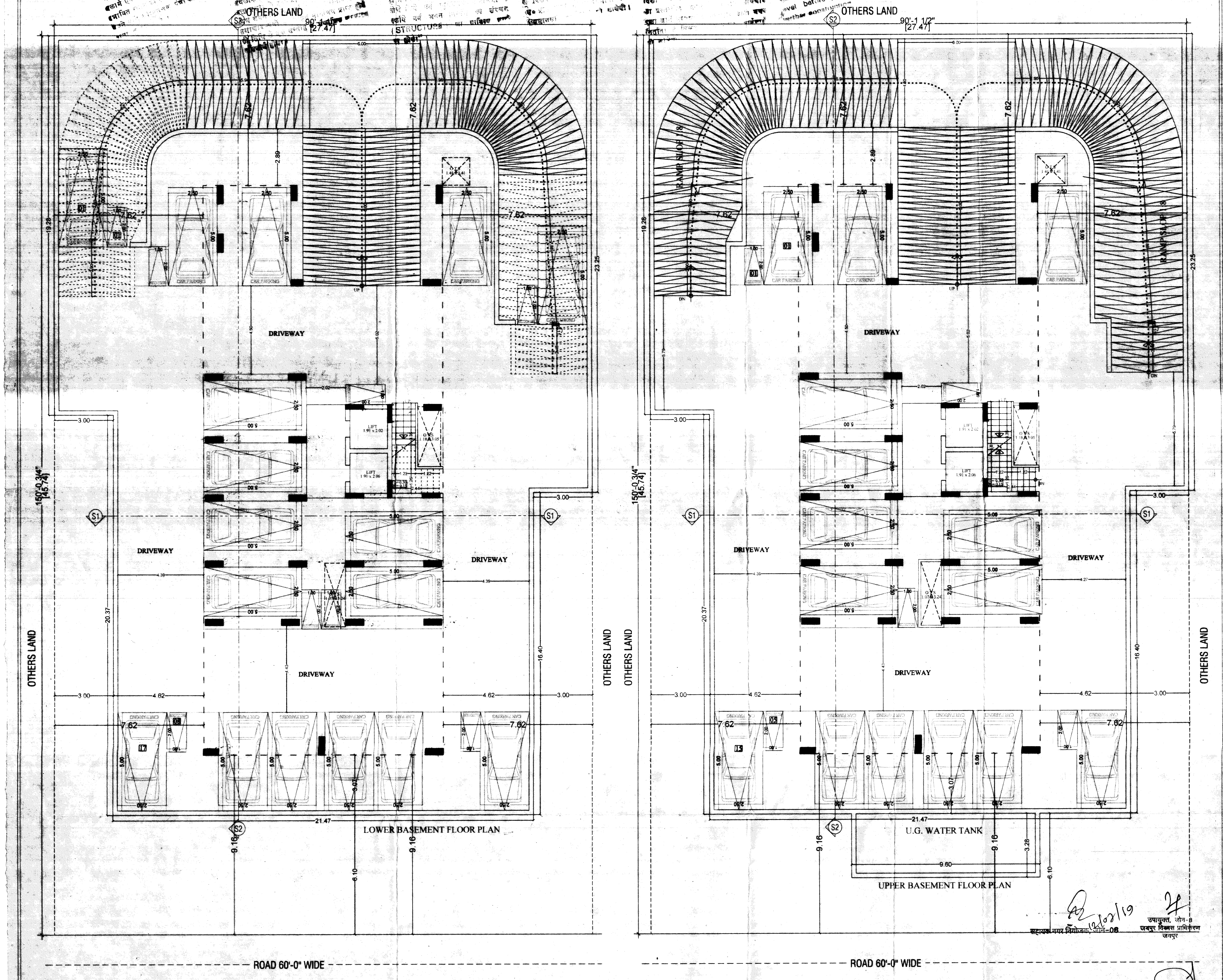

SCALE = 1:100

PROJECT :-

PROPOSED RESIDENTIAL FLATS IN
KH. NO. - 47, 49/6 (PART - 1) AT VILLAGE - MOHANPURA,
TEH. - SANGANER, JAIPUR.

OWNER

ARCHITECT :-

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/99/25451

SPACE GRID
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

सहायक नगर नियोजक, जोन-08

उपायुक्त, जोन-8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

SHEET NO-02

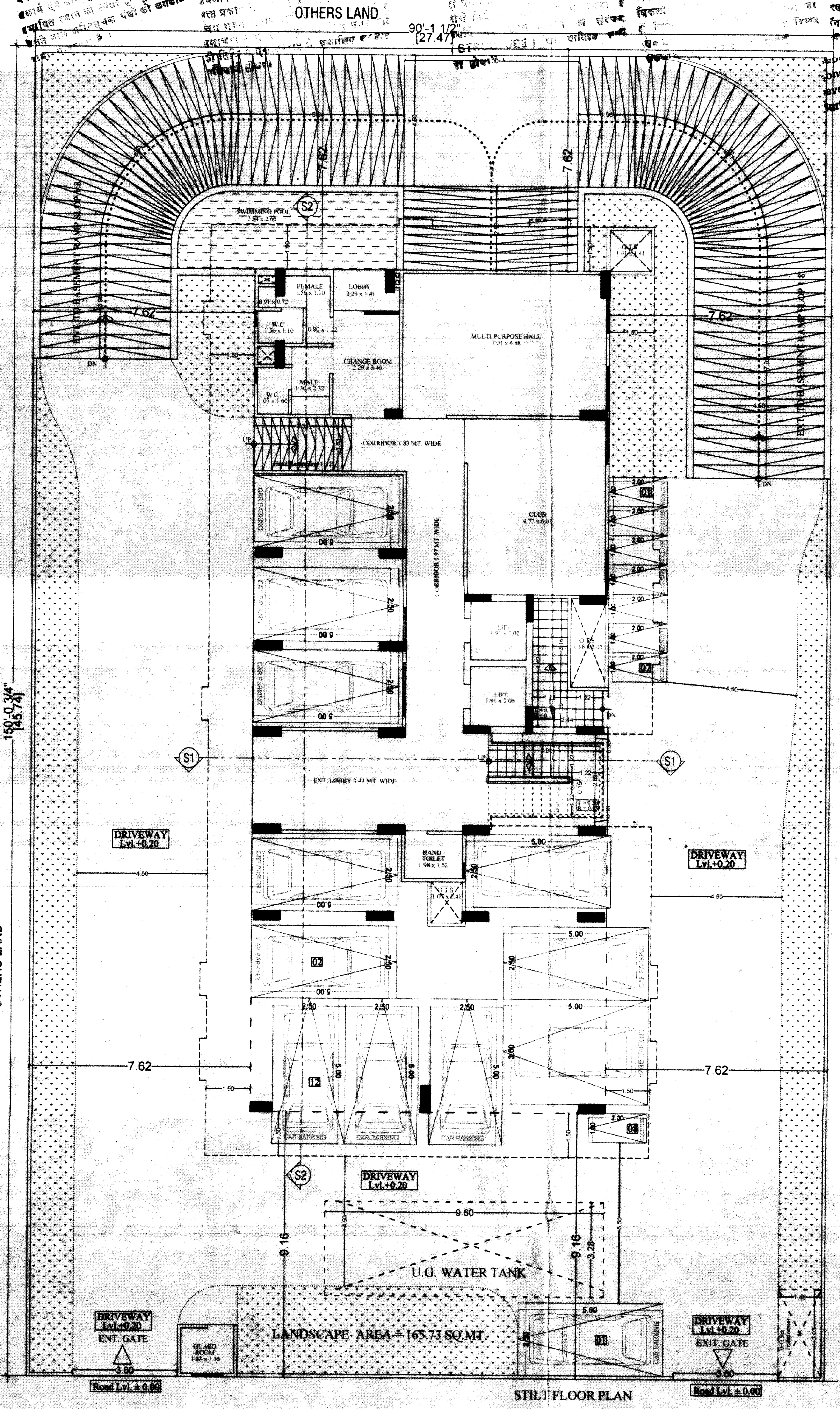

STILT FLOOR PLAN

ROAD 60'-0" WIDE

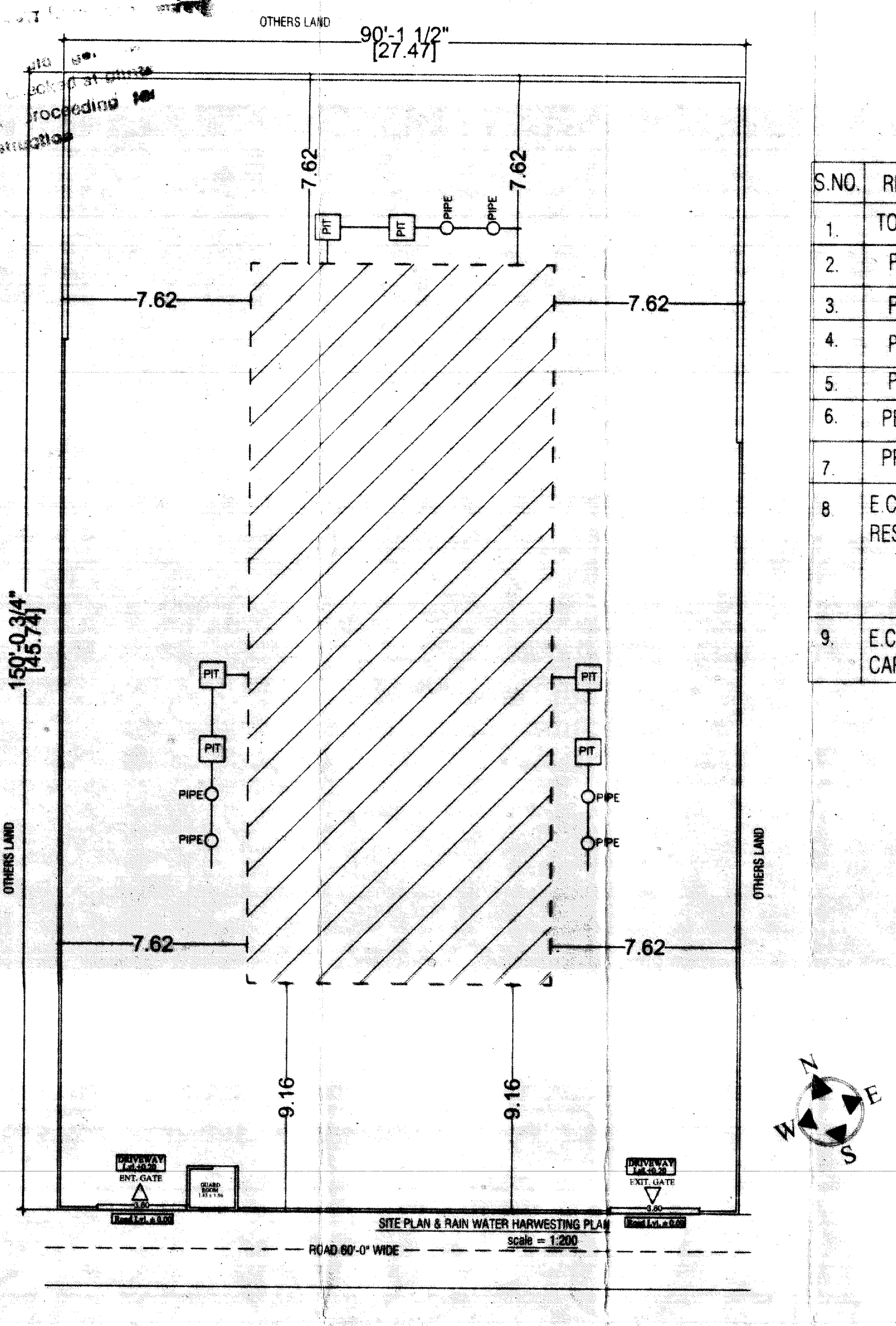

SITE PLAN & RAIN WATER HARWESTING PLAN scale = 1:200

S.NO.	REFERENCE :-
1.	TOTAL PLOT AREA = 1255.10 SQ.MT.
2.	PERMISSIBLE B.A.R. = 1255.10 X 2 = 2510.20 SQ.MT.
3.	PROPOSED B.A.R. = 4351.65 SQ.MT. (3.46 %)
4.	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE = WITH IN SETBACK
5.	PROPOSED GROUND COVERAGE = WITH IN SETBACK
6.	PERMISSIBLE LANDSCAPE (10%) =125.51 SQ.MT.
7.	PROPOSED LANDSCAPE (13.20%) = 165.73 SQ.MT.
8.	E.C.U. REQUIRED RESIDENCE = 4351.65/115 = 37.84 + 25% (VISITOR PARKING) E.C.U. = 47.30 CAR = 36 , SCOOTER = 34
9.	E.C.U. PROPOSED CAR = 44 , SCOOTER = 21 (51:00 E.C.U.)

E.C.U. PROPSED =	CAR.	SCOOTERS
LOWER BASEMENT	17	8
UPPER BASEMENT	15	5
STILT FLOOR	11	8
OPEN	1	0
TOTAL	44	21

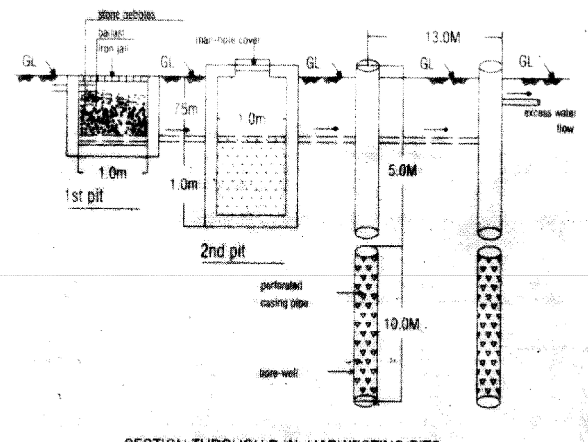

SECTION THROUGH R.W. HARWESTING PITS

AREA CALCULATION (AREA IN SQ. MTR.)

S.NO.	FLOOR	GROSS BUILTUP	FIRE STAIR	CHAJJA	OPEN	BUILTUP AREA	B.A.R.	CLUB HOUSE
1	Lower Basement	978.72	-	-	9.04	969.68	PARKING	-
2	Upper Basement	978.72	-	-	9.04	969.68	PARKING	-
3	Stilt Floor	484.45	10.27	-	-	474.18	119.85	115.97
4	1st Floor	484.45	10.27	2.89	1.09	470.20	470.20	-
5	2nd Floor	484.45	10.27	2.89	1.09	470.20	470.20	-
6	3rd Floor	484.45	10.27	2.89	1.09	470.20	470.20	-
7	4th Floor	484.45	10.27	2.89	1.09	470.20	470.20	-
8	5th Floor	484.45	10.27	2.89	1.09	470.20	470.20	-
9	6th Floor	484.45	10.27	2.89	1.09	470.20	470.20	-
10	7th Floor	484.45	10.27	2.89	1.09	470.20	470.20	-
11	8th Floor	484.45	10.27	2.89	1.09	470.20	470.20	-
12	9th Floor	484.45	10.27	2.89	1.09	470.20	470.20	-
13	MUMTY/ STAIR	63.98	-	-	-	63.98	-	-
14	TOTAL	6865.92	-	-	27.89	6709.32	4351.65	115.97

CLUB
MINIMUM (2%) = 87.03 Sq.mt. ACHIEVED (2.66%) = 115.97 Sq.mt.

उपायुक्त, जोन-8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/99/25451

SCALE = 1:100

PROJECT :-

PROPOSED RESIDENTIAL FLATS IN
KH. NO. - 47, 49/6 (PART - 1) AT VILLAGE - MOHANPURA,
TEH. - SANGANER, JAIPUR.

OWNER

ARCHITECT :-
SPACE GRID
C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG,
BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766,0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

अनुमोदित **SHEET NO-03**

construction checked at plinth level before proceeding for further construction

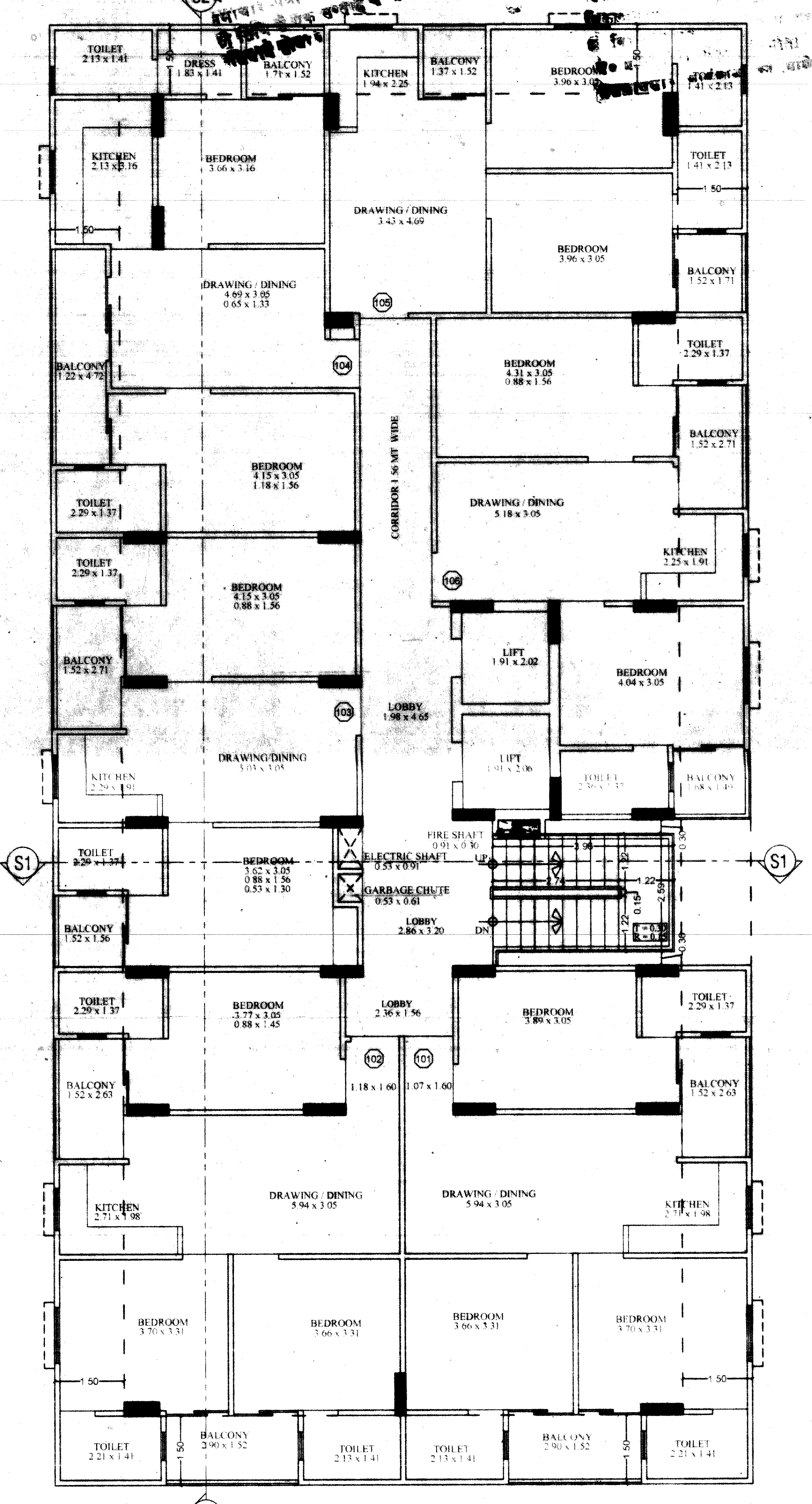

TYPICAL 1ST TO 9TH FLOOR PLAN

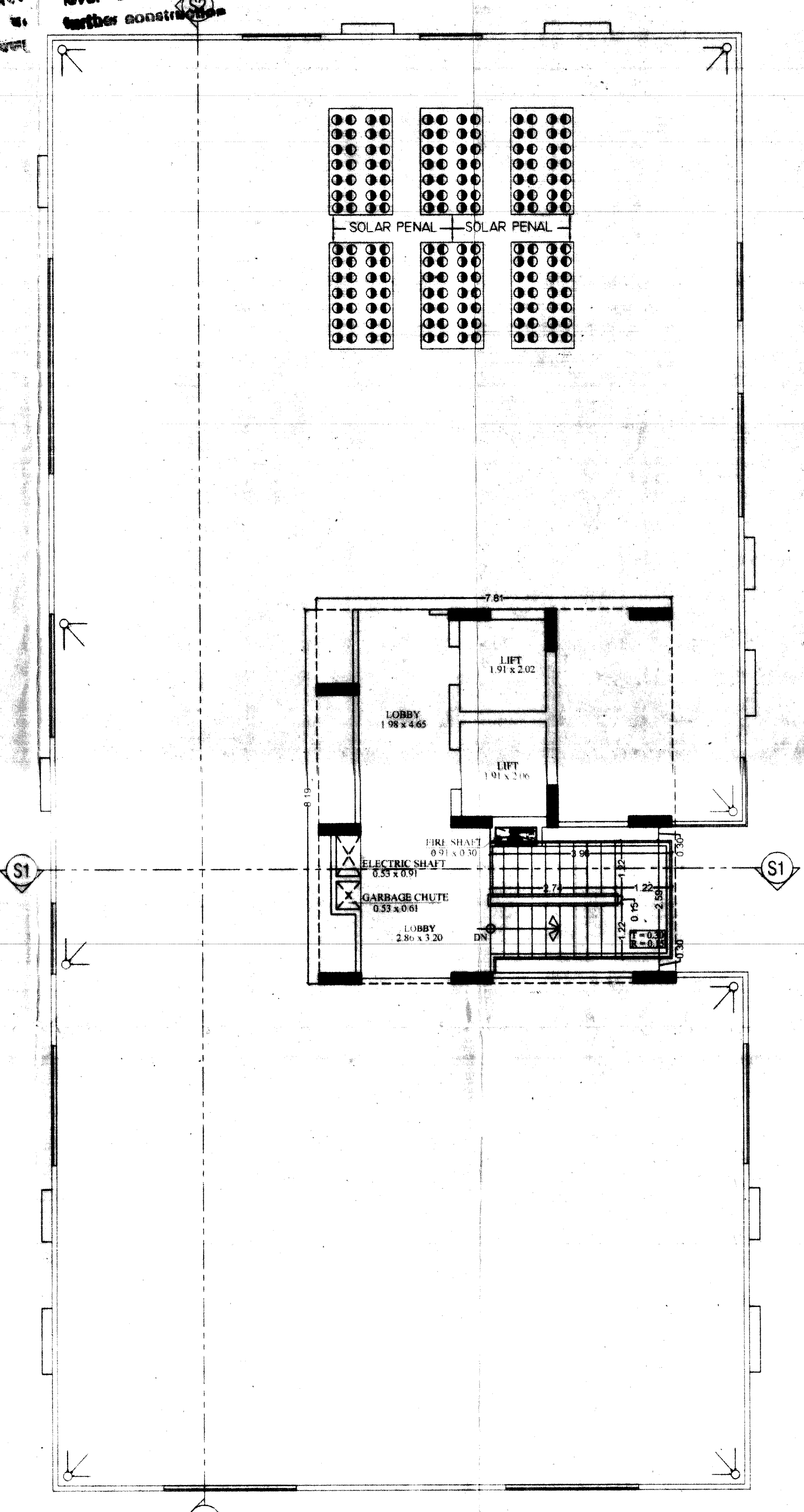

TERRACE FLOOR PLAN

12/07/19
सहायक नगर नियोजक, जोन-08

उपायुक्त, जोन-8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/99/25451

SCALE = 1:100

PROJECT :-

PROPOSED RESIDENTIAL FLATS IN KH. NO. - 47, 49/6 (PART - 1) AT VILLAGE - MOHANPURA, TEH. - SANGANER, JAIPUR.

OWNER

For Singhal Buildhome (P) Ltd.
Director

ARCHITECT :-

SPACE GRID
C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG,
BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766,0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

अनुमोदित

SHEET NO-04

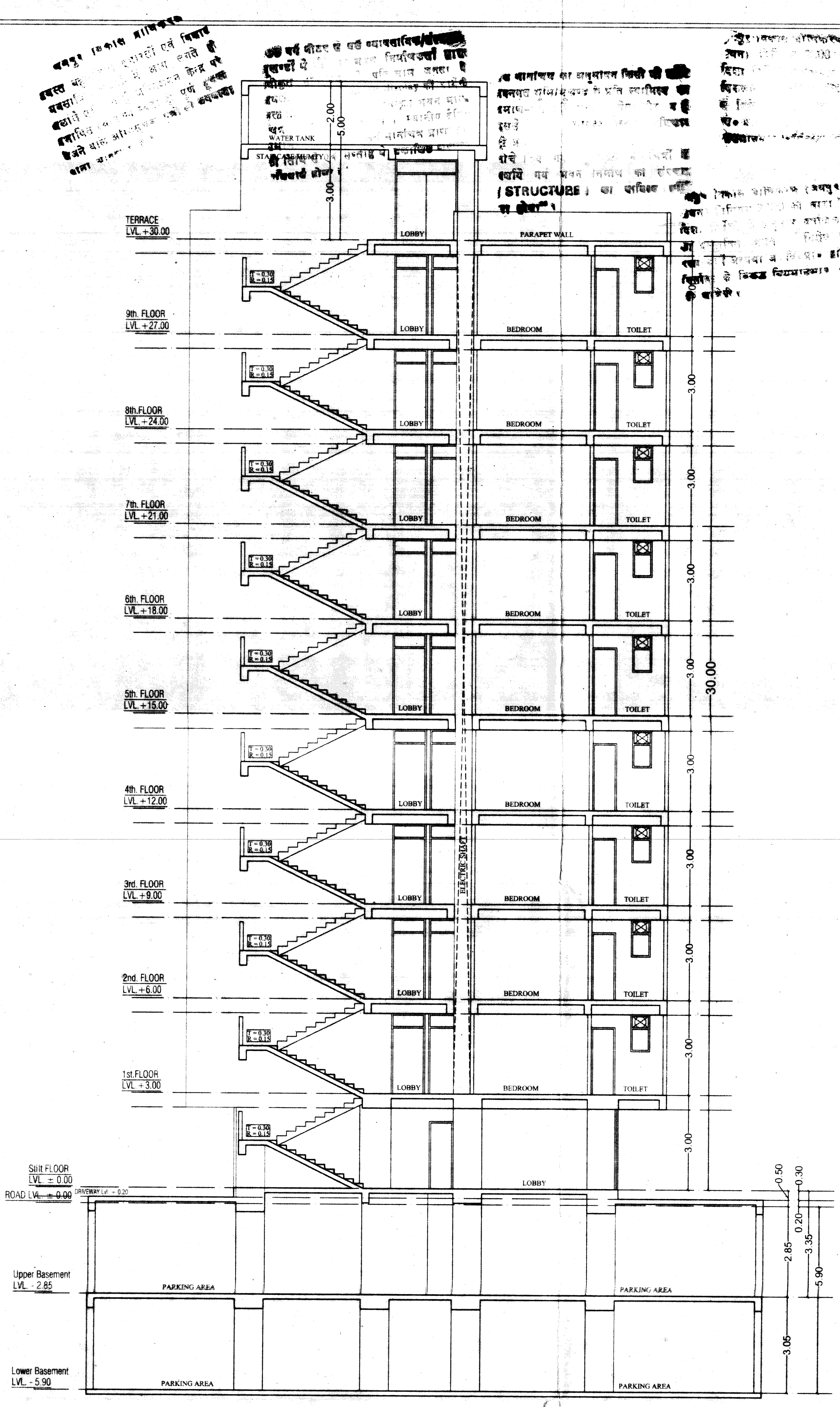

SECTION AT S1-S1

SECTION AT S2-S2

construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

सहायक नगर नियोजक, जोन-08

उपायुक्त, जोन-8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

SCALE = 1:100

PROJECT :-

PROPOSED RESIDENTIAL FLATS IN
KH. NO. - 47, 49/6 (PART - 1) AT VILLAGE - MOHANPURA,
TEH. - SANGANER, JAIPUR.

OWNER

For Singhal Buildhome (P) Ltd
Director

ARCHITECT :-

SPACE GRID
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHEET NO-05

सहायक नगर नियोजक, जोन-08

उपायुक्त, जोन-8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/99/25451

SCALE = 1:100

PROJECT :-	OWNER	ARCHITECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL FLATS IN KH. NO. - 47, 49/6 (PART - 1) AT VILLAGE - MOHANPURA, TEH. - SANGANER, JAIPUR.	For Singhal Buildhome (P) Ltd. Director	SPACE GRID C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG, BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766,0141-4005506 (O) Email:-info.spacegrid@gmail.com